

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग**  
**खनिज भवन, शास्त्री सर्कल उदयपुर राजस्थान- 313001**

**दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526**

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC XIX)/2019/2583

दिनांक: 18.03.2019

**ई-नीलामी विज्ञप्ति**

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क.स. 1 से 3 व 13 पर वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2020 तक एवं कम संख्या 4 से 12 पर वर्णित ठेकों की अवधि दिनांक 01-04-2019 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो से 31-03-2021 तक रहेगी) वार्षिक ठेका राशि पर ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	225	सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर	जिला उदयपुर की तहसील सलुम्बर, लसाडिया की राजस्व सीमा में खनिज मारबल व मेसेनरी स्टोन एवं जिला प्रतापगढ की तहसील धरियावद की राजस्व सीमा में खनिज मारबल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज	ईआरसीसी	मारबल व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	18940700	26.03.2019	27.03.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	212	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	क्वार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4398200	26.03.2019	27.03.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

3	55	सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली	जिला अलवर की तहसील बहरोड की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	3185500	26.03.2019	27.03.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
4	57	सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली	जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज मार्बल व लाईमस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल व लाईमस्टोन	ईआरसीसी	अप्रधान लाईमस्टोन एवं मार्बल	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	11776400	26.03.2019	27.03.2019	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
5	100	खनि अभियन्ता उदयपुर	जिला उदयपुर की तहसील गिर्वा, बडगांव, गोगुन्दा, सराडा व वल्लभनगर की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल / सरपेन्टाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मार्बल / सरपेन्टाईन (शिड्यूल-ग के अनुसार गुणवत्ता / माप / आकार)	ईआरसीसी	मार्बल / सरपेन्टाईन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	69400800	26.03.2019	27.03.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पीएम
6	179	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की राजस्व सीमा में खनिज बालक्ले, सिलिका सैण्ड, चाइनाक्ले, फायरक्ले, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बालक्ले, सिलिका सैण्ड, चाइनाक्ले, फायरक्ले, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर	ईआरसीसी	बालक्ले, सिलिका सैण्ड, चाइनाक्ले, फायरक्ले, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	247823700	26.03.2019	27.03.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पीएम
7	84	खनि अभियन्ता बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बाडमेर के गांव भाखड़ा, कपूरडी व रोहिली की राजस्व सीमा में खनिज मुलतानी मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मुलतानी मिट्टी	ईआरसीसी	मुलतानी मिट्टी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1498000	26.03.2019	27.03.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पीएम

8	240	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील शिवगंज, पिण्डवाडा एवं रेवदर की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	8296100	26.03.2019	27.03.2019	12.00 दोपहर से 02.00 पीएम
9	196	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	99581400	26.03.2019	27.03.2019	02.00 पीएम से 04.00 पीएम
10	45	खनि अभियन्ता झुझुनू	जिला झुझुनू की तहसील उदयपुरवाटी की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	130205100	26.03.2019	27.03.2019	02.00 पीएम से 04.00 पीएम
11	170	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल व मुण्डवा की राजस्व सीमा में खनिज चाइनाक्ले एवं केओलिन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाइनाक्ले एवं केओलिन	ईआरसीसी	चाइनाक्ले एवं केओलिन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	59049000	26.03.2019	27.03.2019	02.00 पीएम से 04.00 पीएम
12	25	खनि अभियन्ता धौलपुर	जिला धौलपुर की राजस्व सीमा में खनिज सैण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन एवं विभागीय तुलायंत्रों पर तुलाई फीस	ईआरसीसी	सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. व तुलाई फीस	165789600	26.03.2019	27.03.2019	02.00 पीएम से 04.00 पीएम
13	219	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील रामसर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	2841000	22.04.2019	23.04.2019	02.00 पीएम से 04.00 पीएम

**(अ) महत्वपूर्ण बिन्दु/ शर्तें**

- 1 ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा कराना होगी।
- 2 ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- 3 ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- 4 ठेका क्षेत्र में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत हाने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने, न्यायालय या शासन या अन्य कारणों से खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 5 समस्त ठेकों में किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि द्वारा बोली में भाग लिया जा सकता है। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिन में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र उच्चतम बोली अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।
- 6 रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- 7 ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस. टी.सी. की वेबसाईट [mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

**(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-**

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी [mstcjaipur@mstcindia.co.in](mailto:mstcjaipur@mstcindia.co.in) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

**(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया**

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 3 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सीरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 5 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी। यदि उक्त विज्ञप्ति में वर्णित ठेकों के लिए (विज्ञप्ति के क्रम संख्या 10 पर अंकित ठेका कोड 45 को छोड़कर) एकल बिड (Single Bid) प्राप्त होगी तो उसे सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा एवं उस ठेके की ई-ऑक्शन प्रक्रिया निरस्त की जायेगी।
- 7 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 10 पर अंकित ठेका कोड 45 पर पूर्व जारी विज्ञप्ति दिनांक 19-02-2019 में एकल बिड प्राप्त हो जाने से पुनः इस बार एकल बिड प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार कर बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
- 8 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
  - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
  - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।

1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

**नोट**—शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / TIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(जे .के. उपाध्याय) I.A.S.

निदेशक

दिनांक: 18.03.2019

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC XIX)/2019/2584-2649

प्रतिलिपि :-

1- श्री उमेश चंद्र, मुख्य प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/समगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/ II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/हुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बारा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर।

(अनिल खिमेसरा)

अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)